

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1926
उत्तर दिनांक 12/12/2024 को दिया गया

होमी भाभा चेयर योजना

1926. # श्री तेजवीर सिंह

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की “होमी भाभा चेयर योजना” के अंतर्गत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को किस प्रकार के अनुसंधान एवं विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और इस योजना के उद्देश्यों सहित इसके तहत दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस योजना के तहत कार्यकाल एक से पाँच वर्षों का होता है;
- (ग) क्या इस योजना के अंतर्गत चयनित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शोध के लिए पर्याप्त संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/प्रोफेसरों के लिए डीएई-होमी भाभा चेयर नाम की एक योजना चला रहा है, जिससे उन सेवानिवृत्त/अधिवाषिता पर सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/इंजीनियरों सहित उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मान्यता और अवसर प्रदान किया जा सके, जिन्होंने अपनी पसंद के और परमाणु ऊर्जा विभाग [डीएई] की रुचि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए संवेदनशील और/या महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान दिया है।

(ख) से (घ) हां। डीएई-होमी भाभा चेयर योजना के तहत कार्यकाल चयन समिति के विवेकाधिकार पर एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष की अवधि तक के लिए होता है।

योजना के तहत, कार्यरत प्रत्येक वैज्ञानिक प्रति माह रूपर 200000/- के मानदेय का हकदार होगा (यदि मानदेय एवं स्वीकृत पेंशन मिलाकर अंतिम आहरित वेतन से अधिक होता है, तो मानदेय सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम आहरित वेतन तक सीमित कर दिया जाएगा)।

सचिवीय सहायता, टेलीफोन बिल और स्टेशनरी जैसे खर्च को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष रूपर 76000/- का आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी को पूरे कार्यकाल के दौरान रूपर 125000/- तक का एक एकमुशत उपकरण भत्ता (पुस्तक भत्ते सहित) वास्तविक उपयोग के अधीन उपलब्ध कराया जाएगा। उपकरण भत्ते में पुस्तक भत्ते के लिए रूपर 10000/- की राशि भी शामिल है।

यदि योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी को सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो एक निश्चित मासिक परिवहन भत्ता भी प्रदान किया जाता है।
